संख्या-308/2015/5176/नौ-5-15-73बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, शिकोहाबाद,
जनपद-फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2015

विषय:-मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद में जल निकासी के कार्यो हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-1747/स्था0नि0सहा0/मा0मुख्यमंत्री जी घोषणा, दिनांक 19.08.2015 तथा शासनादेश संख्या-93/2015/1842/नौ-5-15-73बजट/2015, दिनांक 24 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, शिकोहाबाद में जल निकासी के कार्यो हेतु 09 विभिन्न नालों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-93/2015/1842/नौ-5-15-73बजट/2015, दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ₹ 202.57 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि ₹ 101.28 लाख (रू0 एक करोड़ एक लाख अठ्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा यथाप्रक्रिया प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) निकाय द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

(5) शासनादेश संख्या-92/2015/1844/नौ-5-15-75बजट/2015, दिनांक 24 मार्च, 2015, जिसके द्वारा सन्दर्भित कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उक्त शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक *"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-107-मल-जल सेवाएं-03-सीवरेज एवं जल निकासी हेतु व्यवस्था-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-308/2015/5176 (1)/नौ-5-15-75बजट/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा।
3- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4- कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा प्रकोष्ठ) अनुभाग-3
10- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, शिकोहाबाद।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-15/09/2015

प्रेषण संख्या:- 308

आवंटन आदेश संख्या:- 001-308-2015-5176-9-5-15-73B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

107 - मल - जल सेवाएं

03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	फिरोजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10128000 10128000	10128000 10128000
	योग	वर्तमान प्रगामी	10128000 10128000	10128000 10128000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ एक लाख अठाईस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ एक लाख अठाईस हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी